कार्यालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीम

संख्या–

शीर्षक..बनाम..

	कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर / सूचना नं.
	19/01/26 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उप०। वकील वादी द्वारा प्रार्थना प्रस्तुत कर प्रकरण में आपसी राजीनामा होने से कोई कार्यवाही नहीं चाहने हेतु निवेदन किया। प्रकरण इसी स्तर पर फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति नम्बर से कम किया जाकर दाखिल दफ्तर हो।	

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

Scanned with OKEN Scanner

To reader
[signature] 19/01

सेवामें,

श्रीमान न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखंड मजिस्ट्रेट,
मुकाम भीम – जिला राजसमंद (राज.)

प्रकरण सं. 72 सन् 2024

राजेन्द्र कुमार विरूद्ध सुभाष वगैरह

अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र वास्ते आपसी राजीनामे से प्रकरण निस्तारित होने से प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही बंद किए जाने बाबत

महोदय जी,

उपरोक्त प्रकरण में सादर निम्न निवेदन है कि :-

1. यह कि श्रीमान न्यायालय में उपरोक्त अनवान का प्रकरण विचाराधीन है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण आपस में सगे भाई हैं।

2. यह कि उक्त प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच पारिवारिक समझौता हो जाने के कारण दोनों पक्षकार उक्त प्रकरण में अग्रिम न्यायिक कार्यवाही नहीं चाहते हैं और अब उनके बीच किसी प्रकार का विवाद शेष नहीं रहा है और न ही वे किसी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही चाहते हैं।

3. यह कि उक्त प्रकरण में राजीनामे के आधार पर पत्रावली का निस्तारण किया जाना लोक अदालत की भावना से आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण में आपसी राजीनामे से प्रकरण निस्तारित करवाते हुए अग्रिम कार्यवाही समाप्त किए जने की कृपा करावें।

स्थान : भीम

दिनांक : 19/1/2026

[signature] [signature]

हस्ताक्षर वादी हस्ताक्षर प्रतिवादीगण

C. Rajendra Kumar